

भारत सरकार
दूरसंचार विभाग
अभिगम सेवा स्कंध
20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 16-1/2017-एस.।।।-वालयूम-। (शोर्ट कोड)/17/793 /

दिनांक : 24/10/2017

सेवा में

सभी अभिगम सेवा प्रदाता।

विषय: उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्य मंत्री हेल्पलाइन सेवा के लिए लघु कोड 1076 का आबंटन करना।

अधोहस्ताक्षरी को उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्य मंत्री हेल्पलाइन के लिए लघु कोड "1076" के आबंटन का निम्न विशेषताओं के साथ अनुमोदन संप्रेषित करने का निदेश दिया गया है:

- (i) श्रेणी-। : सेवा (यथा सभी अभिगम प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाली अनिवार्य सेवा)
 - (ii) अभिगम्यता : अप्रतिबंधित यथा एसटीडी पर भी उपलब्ध।
 - (iii) मीटर की जाने वाली सेवा : (इसे काल्ड पार्टी पे अथवा कॉलिंग पार्टी पे के रूप में माना जाए जो कि एजेंसी द्वारा इस आशय की पृथक सूचना के आधार पर उसे जारी किया जाएगा जिसे दूरसंचार विभाग के अनुदेशों के अनुसरण में लघु कोड आबंटित किया गया है।
2. इसे उप महानिदेशक (अभि.सेवा-।) के अनुमोदन से जारी किया गया है।
 3. सभी से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

संचित कुमार गर्ग
24/10/2017
(संचित कुमार गर्ग)

सहायक महानिदेशक (अभि.सेवा-।।।)

दूरभाष: 011-23372725

प्रतिलिपि अग्रेषित:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

1. सचिव, ट्राई
2. अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक एमटीएनएल/अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक बीएसएनएल।
3. अपर मुख्य सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को उनके पत्र सं. अर्द्ध.शा.प.सं. 768/78-1-2017-66 आईटी/2017 टीसी दिनांक 28/08/2017 के संबंध में (हेल्पलाइन को कार्यान्वित करने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने हेतु। नोडल अधिकारी कृपया उप महानिदेशक (टर्म), टर्म प्रकोष्ठ, लखनऊ से संपर्क करें।)
4. निदेशक (टर्म-।) दूरसंचार विभाग (मुख्यालय) (संबंधित टर्म प्रकोष्ठ लखनऊ को हेल्पलाइन के कार्यान्वयन हेतु, जैसे और जब आवश्यक हो, संबंधित नोडल अधिकारी और दूरसंचार सेवा प्रदाता के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कहा जाए।)
5. इस पत्र की एक प्रति को दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।